International Journal of Enhanced Research in Educational Development
ISSN: 2320-8708, Vol. 4 Issue 1, January-February, 2016

विदेशी नरेशों के संस्कृत अभिलेखों में उल्लिखित सामाजिक स्वरूप

प्रवीण दहिया

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में किसी घटना व्यक्ति एवं विषय को विश्वस्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए अभिलेख मूल स्त्रोत है । इतिहास के वह विषय जो अतीत की पृष्ठभूमि में समाहित है अभिलेख उन तक पहुंचने की दिशा प्रदान करते हैं । उपयोगिता की दृष्टि से अभिलेख अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु बन्ध है । प्राचीन नरेशों के चरित्र–चित्रण उनके राज्यकाल, राज्यक्षेत्र, राजवंशों की उन्नति अवनति, तत्कालीन परिस्थितियों तथा असंख्य अनालोचित तथ्यों के विषय में अभिलेख प्रमाणिक एवं विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करते हैं ।

परिचय

विदेशी नरेशों ने भारत के विभिन्न भागों में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाएं एवं इन अभिलेखों में धर्म, संस्कृति, शासन एवं राजनीति से सम्बन्धित विभिन्न बातों को उत्कीर्ण कराया । इन अभिलेखों से तत्कालीन समाज की वर्ण–व्यवस्था, सामाजिक संगठन, रीति–रिवाज, आचार–विचार एवं सामाजिक उत्सव सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते हैं । तत्कालीन समाज का स्वरूप कैसा था इसकी जानकारी हमें विदेशी नरेशों द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर होती है ।

शोध प्रविधि

समाज कई वर्गों में विभाजित होता था । प्रत्येक वर्ग में कई जातियां होती थी एवं जातियां व्यक्ति के जन्म से ही परिगणित होती थी । समाज का विभाजन व्यवसाय एवं अर्थ पर आधारित न होकर अपितु जन्म पर आधारित था । चर्तुवर्ण का उल्लेख एवं विस्मृत वर्णन विभिन्न स्मृति ग्रंथों में प्राप्त होता है । बौद्ध–ग्रंथों में भी इस विषय पर प्रकाश डाला है । 'दिव्यावदान' में 'चतुषक' कहा गया है । चतुषक वर्ग में ब्राह्मण को अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की गई है । इसी प्रकार का विभाजन एवं इसके कार्यो का उल्लेख 'मिलिन्दपञ्ह' में भी मिलता है । ब्राह्मण अपनी विद्वता, शुद्ध आचरण एवं व्यवहार कुशलता के लिए चारों वर्णो में श्रेष्ठ माने गये हैं । अन्य वर्ण इनके बतलाए गए मार्ग पर चलते थे । मनु ने ब्राह्मणों के कर्त्तव्य अध्ययन, अध्यापन यज्ञ करना–कराना, दान लेना–देना निर्दिष्ट किए हैं । मथुरा से प्राप्त 'शोडास कालीन मथुरा पाषाण लेख' में शेग्रव–गोत्र के ब्राह्मण द्वारा जलकुण्ड, होज एवं शिलापट्ट के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है । इस लेख में उल्लिखित ब्राह्मण को गंजवरेण (कोषाधिकारी) कहा गया है । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शक–क्षत्रपों द्वारा ब्राह्मणों को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था । इसके साथ ही ब्राह्मणों द्वारा दान देने सम्बन्धी उल्लेख भी मिलते हैं । मथूरा से प्राप्त कुषाण शासक वसिहक के वर्ष–24 के 'ईसापूर यप अभिलेख' में भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, रूद्रिल के पुत्र, द्रोणल के द्वारा बारह दिन के परिश्रम के बाद 'यूप' स्थापित कराने का उल्लेख है ।

श्रूद्रिल–पुत्रेण द्रोणलेन ब्राह्मणेन भारद्वाज–सगोत्रेण
..... द्वारदश रात्रेण यूपः प्रतिष्ठापितः ।श

मथूरा से ही प्राप्त कुषाण सम्राट् 'हुविष्क के वर्ष 28 के मथुरा पाषाण लेख' में 'वकनपति' एवं 'खरासलेरपतिन' द्वारा मास में एक बार सौ ब्राह्मणों को खुले भवन में भोजन की व्यवस्था का उल्लेख ब्राह्मणों को दान देने के संकेतक है ।

श्मासानुमासं शुद्धस्य चतुदिशि पुण्य–
शा(ला) यं ब्राह्मण–शतं परिविषित्यं ।श

इसी प्रकार का उल्लेख मथुरा से प्राप्त 'हुविष्क के वर्ष 33 के अभिलेख' में मिलता है । इस लेख में भी ब्राह्मण द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है ।

'क्षहरात क्षत्रप नरेश' नहपान के वर्ष 41, 42 एवं 45 के नासिक गुहा लेख एवं तिधिविहीन नासिक गुहा लेख में भी नहपान के जामाता उषवदात द्वारा ब्राह्मणों को ग्राम दान में दिए जाने एवं ब्राह्मणों की भोजन–व्यवस्था सम्बन्धी उल्लेख मिलता है ।

कुषाण काल में यद्यपि जन्म से वर्ण का निर्धारण होता था । फिर भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता थी । कुषाण कालीन अभिलेखों में 'व्यवसायिक वर्ग' के लिए 'श्रेणी' शब्द का प्रयोग मिलता है । श्रेणी का तात्पर्य एक ही व्यवसाय करने वाले किसी भी जाति के समुदाय से था सामान्यता व्यवसायों के आधार पर ही श्रेणियों का नामकरण होता था । गीता में विहित है कि 'कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभाजम् ।' (महा. अनु. प. 141/68–69) व्यापार को वैश्यों को सारभूत तत्व माना गया है । वैश्य वर्ण, वाणिज्य कर्म द्वारा जीविका चलाता था । अतः वणिक कहलाता है । कृषाण कालीन अभिलेखों में भिन्न–2 व्यवसायिक वर्गो का उल्लेख मिलता है । इसमें प्रमुख है –

धातुओं के कर्मकार

धातु का काम करने वालों में स्वर्णकार (सुनार) एवं लोहार (लौहार) का उल्लेख मिलता है ।
लोहकार का उल्लेख हुविष्क के वर्ष 52 व 54 के अभिलेखों में मिलता है ।

स्वर्णकार – स्वर्णकार का उल्लेख कनिष्क के वर्ष–17 के बोधिसत्त्व मूर्तिलेख एवं वासुदेव के वर्ष 93 के अभिलेख में मिलता है ।

खाद्य पदार्थ एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित वर्ग के लिए इस काल में निम्न शब्द प्रयुक्त हुए हैं –

समितकर	–	गेहूं पीसने वाले
धनिक	–	धान्य विक्रता
गंधिक[2]	–	इत्र, गंध के विकेता
प्रावरिक	–	वस्त्र–विक्रेता

इनमें से समितकर, गंधिक एवं प्रावरिक का उल्लेख कुषाण कालीन अभिलेखों में मिलता है ।

समितकर – कुषाण नरेश 'हुविष्क के राज्वर्ष 28 के मथूरा पाषाण लेख में दो श्रेणियों द्वारा 550 पुराण अक्षयनीविरूप में दान का उल्लेख है । इनमें से प्रथम श्रेणी 'समितकर' थी जो गेहूं पीसते थे एवं दूसरी श्रेणी के लिए मात्र रक शब्द ही प्राप्त होता है ।

'गंधिक' का उल्लेख मथुरा से प्राप्त हुविष्क के वर्ष 32 एवं 35 के जैन मूर्ति लेख में प्राप्त होताहै ।
प्रावरिक का उल्लेख कनिष्क के वर्ष 14 के मथूरा बौद्ध मूर्ति लेख में भी मिलता है ।

शक एवं कुषाण कालीन अभिलेखों में श्रेष्ठिन् एवं सार्थवाह शब्दों का भी उल्लेख मिलता है । व्यापारियों के दो वर्ग होते थे –

वाणिक एवं सार्थवाह

'सार्थवाह' ऐसे व्यापारियों का समूह था जो अपनी आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु स्थान–स्थान पर जाकर वस्तु विक्रय करते थे, ये काफिले के साथ चलते थे । अतः सार्थवाह कहताते थे । कृषाण सम्राट कनिष्क एवं हुविष्क के मथूरा से प्राप्त अभिलेखों में सार्थवाह का उल्लेख मिलता है ।

शक एवं कुषाणकालीन अभिलेखों में विभिन्न श्रेणियों एवं श्रेणी प्रमुख के नामोल्लेख से यह संकेत प्राप्त होता है कि तत्कालीन समाज में वैश्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । व्यससायिक संगठन पर्याप्त व्यवस्थित थे जिससे वैश्यों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी । शूद्र स्मृति साहित्य में वर्ण व्यवस्था के अर्न्तगत शूद्र को अंतिम स्थान दिया गया है । शूद्र का धर्म द्विजाति वर्ण की सेवा करना था । शूद्रं धर्मों द्विजाते शुश्रुषामिता विदेशी न रेशों के अभिलेख में शूद्र का उल्लेख प्राप्त नहीं होता । चारों वर्णों के अतिरिक्त 'नवकार्मिक (वास्तुकार) का उल्लेख शक–क्षत्रप ''पत्तिक के तक्षशिला ताम्रपत्र'' अभिलेख में मिलता है । भवन–निर्माताओं को नवकार्मिक कहा जाता था ।

शक एवं कुषाण कालीन अभिलेखों में परिवार सम्बन्धी विभिन्न शब्द प्रयुक्त हुए है – उच्च एवं उन्नत परिवार के लिए – 'जाति–सम्पन्न' निम्न परिवार के लिए – 'हीनकुल', विशाल परिवार के लिए – महा या संयुक्त परिवार ।'' विदेशी नरेशों द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों में विवाह–सम्बन्धी बहुत कम उल्लेख प्राप्त होते है तथापि जो भी उल्लेख मिलते हैं, उनमें विजातीय विवाह को अधिक बल मिला । विदेशी नरेशों द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में भारतीय महीनों के नाम यथा–कार्तिक मास के 20वं दिन, आषाद मास के 20वें दिन, ज्येष्ठ मास के प्रथम दिन इत्यादि का उल्लेख मिलता है । इससे पता चलता है कि भारतीय मास और तिथियां तत्कालीन समाज में पर्याप्त रूप में प्रचलन में थी ।

निष्कर्ष

विदेशी नरेशों के संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसा हमारे धार्मिक ग्रंथों मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि में समाज का स्वरूप उल्लिखित है, समाज का विभाजन वर्ण के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर बताया गया । इन अभिलेखों में भी हमें सामाजिक विभाजन वर्ण–व्यवस्था के आधार पर मिलता है । हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यद्यपि जन्म के आधार पर वर्णों का विभाजन होता था तथापि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की पूरी स्वतत्रंता थी । विदेशी शासकों ने धार्मिक–सहिष्णुता का प्रदर्शन किया । उन्होंने अपनी धार्मिक विचारधारा को प्रजा पर लादा नहीं बल्कि उनके धार्मिक विश्वास में उन्हीं के साथ हो गए ।

सन्दर्भ ग्रंथ

काणे, पी.वी. – धर्मशास्त्र का इतिहास, अनु. –अर्जुन काश्यप, हिन्दी समिति उ0 प्रदेश शासन, लखनऊ, प्रथम संस्करण – 1973
सरकार, डी.सी. – सलेक्ट इन्सिक्रप्शनस, भाग–1 कलकत्ता– 1965
इण्डियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्लीः वाराणसीः एपिग्राफिया इण्डिका, पटनाः
पुरी वी.एन. – इण्डिया उण्डर द कुशाणाज्, चतुर्थ अध्याय
सत्य श्रवा – द डेटड् कुषाणाज् इन्स्क्रिप्शनस, सं. – 110